रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 65] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 13, 1975/माघ 24, 1896
No. 65] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 13, 1975/MAGHA 24, 1896

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th February 1975

Commission of Inquiry to Inquire into the Incidents of Explosions at Samastipur and Matters Connected Therewith (1975).

S.O. 93(E).—Whereas by the Ministry of Home Affairs Notification No. I/12014/1/75-S&P(D-I) dated 10th February, 1975 published on the same date in Part II, Section 3 Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary as S.O. No. 88(E) the Central Government, in exercise of the powers conferred on it by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), has appointed Shri Justice K. K. Mathew, Judge, Supreme Court of India, as one man Commission of Inquiry with the following terms of reference, namely:—

(a) to inquire into the general background and the facts and circumstances pertaining to the explosion that occurred on 2nd January 1975 at Samastipur Railway Station resulting in the death of Shri L. N. Mishra, Union Minister for Railways and Sarvashri Suraj Narain Jha, Member of the Legislative Council, Bihar and R. K. P. S. Kishore, Railway Clerk and serious injuries to a number of persons and the subsequent explosion that occurred the same day in the house of Shri Mahadeo Sahu;

(b) to inquire into the nature and adequacy of measures taken to afford necessary protection and security to the Union Minister of Railways while attending the public function for inauguration of Samastipur—Muzzafarpur Broad Gauge Line on 2nd January, 1975;

(c) to inquire into the nature and adequacy of medical attention given to late Shri L. N. Mishra after he came to be injured as a result of the explosion at the railway station and other related circumstances taking into consideration and findings of the Medical Experts Committee appointed by the Government of Bihar in their Home Department Resolution No. 508/C dated the 28th January, 1975;

(d) to inquire into the nature and adequacy of steps taken for rendering medical and other assistance to persons injured as a result of the aforesaid explosion;

(e) to consider such other matters which in the opinion of the Commission have any relevance to the aforesaid; and

(f) to recommend measures which may be adopted for preventing the recurrence of such incidents.

Now therefore this notification is issued, by and under the order of the said Commission, inviting all persons acquainted with the subject-matters of the inquiry to furnish to the Commission statements, in writing, relating to all or any of the matters specified in the terms of reference aforesaid.

2. Every statement furnished to the Commission should be accompanied by an affidavit in respect of the facts set out in the statement and sworn to by the person furnishing the statement.

3. All statements, together with true copies of documents, if any, which are proposed to be relied upon, should be sent to the "Commission of Inquiry to inquire into the incidents of explosion at Samastipur and matters connected therewith", 2, Motilal Nehru Marg, New Delhi-110011 so as to reach on or before the 3rd March, 1975.

4. The sittings of the Commission for recording of oral evidence will be notified in due course.

NEW DELHI;
February 13, 1975.

[No. I-12014/1/75-S&P(DI)]
By order of the Commission.
A. C. SEN,
C. V. NARASIMHAN, Jt. Secy

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1975

समस्तीपुर में हुए विस्फोटों की घटनाओं और उनसे संबंधित मामलों के विषय में जांच करने के लिए जांच आयोग (1975)

का० आ० 93(अ)—यतः गृह मंत्रालय की दिनांक 10 फरवरी, 1975 की अधिसूचना संख्या I/12014/1/75-एस० एंड पी० (डी-I) (उसी दिन भारत के असाधारण राजपत्र के भाग-II, खंड 3 उपखंड (ii) में सां० आ० संख्या 88(ई) के रूप में प्रकाशित) द्वारा, केन्द्रीय सरकार ने, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, न्यायमूर्ति श्री के०के० मैथ्यू को एक सदस्यीय जांच आयोग के रूप में नियुक्त किया है, जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे, अर्थात:—

(क) 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर, रेलवे स्टेशन पर हुए विस्फोट से संबंधित सामान्य पृष्ठभूमि और उन तथ्यों तथा परिस्थितियों की जांच करना जिनके परिणामस्वरूप केन्द्रीय रेल मंत्री श्री ललित नारायण मिश्र और सर्वश्री सूरज नारायण झा, सदस्य, विधान परिषद, बिहार तथा आर० के० पी० एस० किशोर, रेलवे क्लर्क की मृत्यु हो गई और बहुत से व्यक्तियों को गंभीर चोटें आईं और बाद में, श्री महादेव साहू के घर में उसी दिन हुआ विस्फोट।

(ख) 2 जनवरी, 1975 को समस्तीपुर–मुजफरपुर बड़ी लाइन के उद्घाटन करने के सार्वजनिक समारोह में उपस्थित होते समय केन्द्रीय रेल मंत्री के बचाव तथा सुरक्षा के लिए जरूरी जो भी उपाय किए गए उनके प्रकार और उनकी पर्याप्तता की जांच करना;

(ग) रेलवे स्टेशन पर विस्फोट होने के कारण स्वर्गीय श्री ललित नारायण मिश्र के घायल होने पर उनकी चिकित्सा के लिए किए गए उपायों के प्रकार और उनकी पर्याप्तता तथा बिहार सरकार द्वारा अपने गृह विभाग के दिनांक 28 जनवरी, 1975 के संकल्प सं० 508/सी० द्वारा नियुक्त चिकित्सा विशेषज्ञ समिति के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुये अन्य संबंधित परिस्थितियों की जांच करना ;

(घ) उपर्युक्त विस्फोट के परिणामस्वरूप घायल हुए व्यक्तियों को चिकित्सा तथा अन्य सहायता पहुंचाने के लिए किए गए उपायों के प्रकार और उनकी पर्याप्तता की जांच करना;

(ङ) इस प्रकार के उन अन्य मामलों पर विचार करना, जो आयोग के विचार में उक्त घटना से संगत हों; और

(च) ऐसे उपायों की सिफारिश करना जिनको इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपनाया जा सके ।

अतः, अब उक्त आयोग, आयोग द्वारा और आयोग के आदेश के अन्तर्गत जारी की गई इस अधिसूचना द्वारा, जांच के विषयों की जानकारी रखने वाले सभी व्यक्तियों को आयोग के उल्लिखित विचारार्थ विषयों में निर्दिष्ट सभी मामलों या किसी मामले से संबंधित अपने लिखित बयान आयोग को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करता है ।

2. आयोग को प्रस्तुत प्रत्येक बयान के साथ , बयान में दिए गए तथ्यों के संबंध में शपथ–पत्र होना चाहिए और बयान प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस संबंध में शपथ लेनी चाहिए ।

3. सभी बयान, दस्तावेजों की सत्य प्रतिलिपियों, सहित, यदि कोई हों, जिन पर विश्वास किया जा सकता हो "समस्तीपुर में हुए विस्फोटों की घटनाओं और उनसे संबंधित मामलों के विषय में जांच करने के लिए जांच आयोग", 2, मोती लाल नेहरू मार्ग, नई दिल्ली–110011 के पास 3 मार्च, 1975 को या इससे पहले पहुंच जाने चाहिए ।

4. मौखिक साक्ष्य दर्ज करने के लिए आयोग की बैठकों के बारे में यथासमय अधिसूचित किया जायगा ।

[सं०I–12014/1/75–एस० एंड पी० (डी०I)]

आयोग के आदेश से,
ए० सी० सेन ।

नई दिल्ली, 13 फरवरी, 1975 ।

सी० वी० नरसिम्हन, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975